ए.

रामझन गनी पलानी बनाम।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और ए. एन. आर.

(अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका (2021 का आपराधिक) संख्या 8942)
अप्रैल 27,2022

[एन**.** वी**.** रमना**,** सीजेआई**,** कृष्णा मुरारी और हिमा कोहली**,** जे**.** जे**.]**

जमानतःनियमित जमानत-अस्वीकार-भारतीय तटरक्षक बल और राजस्व खुफिया निदेशालय-डी. आर. आई. द्वारा एक संयुक्त अभियान में गुजरात में बंदरगाह के पास भारी मात्रा में मादक पदार्थ, हेरोइन की जब्ती से संबंधित मामला-अभियोजन पक्ष का मामला कि खुफिया सूचना मिलने पर डी. आर. आई. ने भारतीय जल क्षेत्र में एक पाकिस्तानी नाव को रोका जो भागने की कोशिश कर रही थी-मादक पदार्थ युक्त बैग की जब्ती, और नाव के कप्तान ने एक सैटेलाइट फोन के साथ समुद्र में कुछ बैग फेंकने की बात स्वीकार की-अनुसंधान से पता चला कि मादक पदार्थ को गुप्त रूप से पाकिस्तान से समुद्री मार्ग से गुजरात में लाया जा रहा था-याचिकाकर्ता को इस उचित विश्वास पर हिरासत में लिया गया कि वह पाकिस्तानी ध्वजवाहक जहाज द्वारा भारतीय क्षेत्र में लाए गए मादक पदार्थ की खेप के लिए भारतीय प्राप्तकर्ता था-याचिकाकर्ता द्वारा जमानत आवेदन -याचिकाकर्ता को जमानत की विवेकाधीन राहत से इनकार करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है-याचिकाकर्ता पर एक गंभीर अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है जहां निर्धारित न्यूनतम सजा दस साल की है-इस प्रकार, विवादित आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया गया है-स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985-ss।2, 8, 16, 17, 18, 23, 24, 29 और 32 (बी) (ई)-दंड संहिता, 1860-एस.120-बी, 121-ए और 122-गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967।17, 18, 18-बी,20.

असाधारण अपील न्यायनिर्णयःअपील के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिका (सीआरएल) 2021 का सं. 8942।

जी.

2021 की आपराधिक अपील No.808 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांकित 19.08.2021 के निर्णय और आदेश से।

आर. बसंत, अज़मत हयात अमानुल्लाह, निशांत अवाना, देवांश मल्होत्रा, सुश्री नित्या शर्मा, अक्षय सहाय, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।

एच.

1050

1051

रामझन गनी पलानी बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ए. एन. आर.

ए.

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., सुभ्रांशु पाधी, सुश्री रुचि कोहली, विनायक शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का आदेश पारित किया गया था

हिमा कोहली, जे.

1. याचिकाकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 19 अगस्त, 2021 को पारित आदेश के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति की मांग करते हुए वर्तमान याचिका दायर की है, जिसमें विशेष न्यायाधीश, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, अहमदाबाद द्वारा पारित 19 मार्च, 2021 के आदेश के खिलाफ उनके द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया है, जिसमें उनकी जमानत याचिका मूल रूप से राजस्व खुफिया निदेशालय 1 द्वारा दर्ज एक मामले में खारिज कर दी गई थी और बाद में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-बी, 121-ए और 122, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की धारा 17,18,18-बी, 20 और धारा 2,8,16,17,18,23,24,29 और 32 (बी) (ई) के तहत अपराधों के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा ले ली गई थी। 2.अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि खुफिया सूचना मिलने पर डी. आर. आई. ने भारतीय जल क्षेत्र में एक पाकिस्तानी नाव को रोका था जो 21 मई, 2019 को भागने की कोशिश कर रही थी।भारतीय तटरक्षक बल ने एक कप्तान और चालक दल के पांच सदस्यों के साथ पाकिस्तानी नाव का पीछा किया और उसे पकड़ लिया।कैप्टन ने सैटेलाइट फोन के साथ समुद्र में कुछ थैले फेंकने की बात स्वीकार की थी।194 सात थैलों से पैकेट बरामद किए गए जिनमें कुल 1 किलोग्राम मादक पदार्थ हेरोइन था और उन्हें जब्त कर

लिया गया।इसके बाद, उस स्थान के पास तटीय क्षेत्र से आईडी1 किलोग्राम वजनी हेरोइन के 17 और पैकेट भी बरामद किए गए, जिससे जब्त की गई हेरोइन की कुल मात्रा 211 पैकेटों में आईडी2 किलोग्राम हो गई। अनुसंधान से पता चला कि पाकिस्तान से समुद्री मार्ग से गुप्त रूप से गुजरात में मादक पदार्थ लाए जा रहे थे।पूछताछ के दौरान, पाकिस्तान के ध्वजवाहक जहाज "अल मदीना" के कप्तान ने कहा कि मादक पदार्थों की खेप की डिलीवरी समुद्र में एक विशेष स्थान पर की जानी थी, जिसके लिए भारतीय समकक्ष को वीएचएफ पर एक संचार भेजा जाना था।इस उद्देश्य के लिए संचार चैनल संख्या 8 निर्धारित किया गया था जिस पर

जी.

1 संक्षेप में 'डी. आर. आई.'

2 संक्षेप में 'एन. डी. पी. एस. अधिनियम'

एच.

ए.

उन्हें कॉल साइन "मोहम्मद" का उपयोग करना था और भारतीय समकक्ष को "रमजान" साइन के साथ जवाब देना था।

3. उपरोक्त जानकारी प्राप्त करने पर, भारतीय तटरक्षक अधिकारियों द्वारा एक रेडियो ऑपरेटर को वी. एच. एफ. चैनल No.16 पर एक हिट एंड ट्रायल विधि द्वारा "मोहम्मद-रमजान-रमजान" पर कॉल करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था, जो एक अंतर्राष्ट्रीय समुद्री चैनल था जो मछुआरों के संचार के उपयोग और जहाज से जहाज के संपर्क के लिए था। उक्त कॉल के जवाब में, याचिकाकर्ता ने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव पर पास के स्थान पर बहते हुए जवाब दिया था, "रमजान-हान बोलो", लेकिन वीएचएफ चैनल नंबर 8 पर।अभियोजन पक्ष का कहना है कि निकटवर्ती क्षेत्र में केवल एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव थी जो याचिकाकर्ता की थी जिसमें बारह चालक दल के सदस्य सवार थे।उक्त नाव 4-5 दिनों तक गहरे समुद्र में रही थी और उस अवधि में वे केवल पाँच मछलियाँ पकड़ने में सफल रहे थे।इसके अलावा, भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव के कप्तान और चालक दल के सदस्य साफ-सुथरे कपड़ों के साथ दिखाई दिए, हालांकि याचिकाकर्ता ने 4-5 दिनों तक गहरे

समुद्र में मछली पकड़ने का दावा किया।यहाँ तक कि मछली पकड़ने का जाल और नाव का डेक भी बिना मिट्टी के पाया गया, स्पष्ट रूप से, याचिकाकर्ता की ओर संदेह की उंगली की ओर इशारा करते हुए।यह तर्क दिया गया था कि यह साबित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था कि समुद्र में रहते हुए बड़ी संख्या में मछलियाँ पकड़ी गई थीं और यह कि नाव प्रतिबंधित पदार्थ की खेप एकत्र करने के उद्देश्य से केवल पाँच दिनों के लिए उस स्थान पर बह रही थी।नतीजतन, याचिकाकर्ता को इस उचित विश्वास पर हिरासत में लिया गया कि वह पाकिस्तानी ध्वज जहाज द्वारा भारतीय क्षेत्र में लाई गई नशीली दवाओं की खेप के लिए भारतीय प्राप्तकर्ता था।

4. विशेष न्यायाधीश, राष्ट्रीय जांच एजेंसी 3, अहमदाबाद ने 19 मार्च, 2021 के आदेश के माध्यम से याचिकाकर्ता द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका को खारिज कर दिया।इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने एक अपील को प्राथमिकता दी जिसे गुजरात उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा 19 अक्टूबर, 2021 के एक विस्तृत आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अपराध में उसकी संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया एक से अधिक मामले बने हैं।

जी.

5. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बसंत ने तर्क दिया है कि उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को जमानत देने से इनकार करने में गंभीर गलती की है और अभियोजन पक्ष का पूरा मामला संदेह पर आधारित है; कि याचिकाकर्ता दुखी संयोगों का शिकार है।

3 संक्षेप में 'एन. आई. ए.' ए.

एच.

1053

रामझन गनी पलानी बनाम राष्ट्रीय जांच एजेंसी और ए. एन. आर. [हिमा कोहली, जे.] ए.

गलत समय पर गलत जगह पर होने का; कि याचिकाकर्ता को छोड़कर, नाव पर बारह चालक दल के सदस्यों में से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया था या अभियुक्त व्यक्तियों के रूप में आरोपित नहीं किया गया था; कि याचिकाकर्ता का स्पष्ट इतिहास है और जमानत

दिए जाने पर उसके द्वारा कोई स्पष्ट कार्य करने की कोई संभावना नहीं है।6. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस तथ्य पर बहुत जोर दिया है कि केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने वीएचएफ चैनल पर "रमजान हां बोलो" शब्दों के साथ "मोहम्मद" संचार का जवाब दिया था, उसकी जमानत याचिका को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता है, विशेष रूप से, जब याचिकाकर्ता का नाम रामझन गनी पलानी है।इसलिए, केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता ने चैनल संख्या 8 पर रेडियो ऑपरेटर को जवाब दिया था, जिसने वीएचएफ चैनल संख्या 8 और 16 पर उपरोक्त संदेश प्रसारित किया था, शायद ही अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए एक आधार के रूप में माना जा सकता है। नाव के छोड़े जाने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा बेची गई सात मछलियों का मूल्य 3,47,325- (केवल तीन लाख सैंतालीस हजार तीन सौ पच्चीस रुपये) के लिए चालान का भी संदर्भ दिया गया था।यह तर्क दिया गया था कि सात मछलियों में से पाँच मछलियाँ "घोल मछली" थीं जिन्हें बोलचाल की भाषा में "समुद्री सोना" के रूप में जाना जाता था, जिनका वजन 104 किलोग्राम था, जो एक दुर्लभ पकड़ है और बहुत महंगी है।बाजार में इस मछली की कीमत लगभग 1400/- (केवल चौदह सौ रुपये) प्रति किलोग्राम बताई गई है।यह दावा करते हुए कि इससे पहले भी एक अवसर पर, याचिकाकर्ता घोल मछली की तलाश में समुद्र में गया था जिसे पकड़ा गया था और एक अच्छी राशि में बेचा गया था जो यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त था कि वह न तो नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार में शामिल था, न ही उसे अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए गए पाकिस्तानी ध्वज जहाज से संपर्क करने के लिए कहा गया था।अंत में, यह तर्क दिया गया कि केवल इसलिए कि नाव और चालक दल के सदस्य साफ-सुथरे पाए गए थे, याचिकाकर्ता को जमानत की राहत से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।7. श्री के. एम. नटराज, प्रत्यर्थी के लिए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने वर्तमान याचिका का जोरदार विरोध किया और प्रस्तुत किया कि पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाले जहाज पर पाए गए छह पाकिस्तानी नागरिकों को आईडी 2 पर गिरफ्तार किए जाने के बाद, याचिकाकर्ता को दो दिन बाद आईडी 3 पर गिरफ्तार किया गया था।डी. आर. आई. के कहने पर याचिकाकर्ता सहित सभी सात गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ गुजरात के भुज में एन. डी. पी. एस. मामलों के विशेष न्यायाधीश के समक्ष एन. डी. पी. एस. अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज की गई थी।उक्त शिकायत के अनुसार, याचिकाकर्ता पर एन. डी. पी. एस. अधिनियम की धारा 28,29 और 30 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया था, जिसके लिए निर्धारित सजा न्यूनतम दस साल की अवधि के लिए कारावास है।

₹

अधिकतम बीस वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।इसके बाद, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश पर, मामले की आगे की अनुसंधान एन. आई. ए. को स्थानांतरित कर दी गई और आर. सी. No.24/2020/NIA/DLI के माध्यम से एन. आई. ए. पुलिस स्टेशन, नई दिल्ली में 26.05.2020 पर मामला फिर से दर्ज किया गया।

8. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि एन. आई. ए. ने एन. आई. ए. विशेष अदालत, अहमदाबाद के समक्ष 6 गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिकों और याचिकाकर्ता के खिलाफ मादक पदार्थ हेरोइन की तस्करी के प्रयास से संबंधित अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया था। उन्होंने बताया कि आरोप पत्र के अनुसार, फरार नौ पाकिस्तानी नागरिकों को वांछित आरोपी के रूप में दिखाया गया है और मामले में उनकी भूमिका की अभी भी अनुसंधान की जा रही है।आज तक, याचिकाकर्ता और गिरफ्तार किए गए छह पाकिस्तानी नागरिकों के खिलाफ आरोप तय किए गए हैं।यह आग्रह किया गया कि याचिकाकर्ता एक गलत धारणा के तहत है कि उसके खिलाफ मामला एक नियमित मामला है, जबकि इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि वर्तमान मामला भारत में बिक्री के लिए और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाने के लिए मादक पदार्थों की संगठित तस्करी से संबंधित है, जो एक गंभीर अपराध है और उसे जमानत से राहत देने से इनकार करने के लिए एक वैध आधार है।

9. हमने विवादित आदेश का अवलोकन किया है और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है, जो विवादित फैसले के पैरा 8 और 9 में विधिवत दर्ज हैं और प्रथम दृष्टया हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता को जमानत की विवेकाधीन राहत से इनकार करने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री है।पुरस्कार पकड़ने के उच्च बाजार मूल्य का उल्लेख करते हुए याचिकाकर्ता और उसके चालक दल के सदस्यों द्वारा समुद्र में रहने के पांच दिनों में जाली में पकड़ी गई पांच घोल मछलियों से बहुत कुछ बनाने

की कोशिश की जाती है।याचिकाकर्ता अपराध स्थल पर मछली पकड़ने वाली नाव में अपनी उपस्थिति को सही ठहराने का हकदार होगा, जिसे मुकदमे के दौरान एक सरासर संयोग के रूप में वर्णित किया जाना चाहिए।मछुआरों के साथ संचार और जहाज से जहाज संपर्क के लिए विशेष रूप से निर्धारित चैनल चैनल No.16 के बजाय चैनल नंबर 8 पर "मोहम्मद-मोहम्मद-रमजान" कॉल का जवाब देने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण भी उस स्तर पर उसके लिए उपलब्ध होगा।लेकिन सीमा पर, यह एक ऐसा मामला प्रतीत होता है जहां याचिकाकर्ता अशांत जल में मछली पकड़ रहा है और प्रत्यर्थी No.1/NIA के अनुसार, अपने ही जाल में फंस गया है।

जी.

10. अभिलेखों से पता चलता है कि प्रतिवादी/एन. आई. ए. द्वारा 18.12.2020 पर आरोप पत्र दायर किया गया है।उक्त आरोप पत्र के अनुसार, नौ ए

एच.

1055

रामझन गनी पलानी बनाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण और ए. एन. आर. [हिमा कोहली, जे.]

पाकिस्तानी नागरिक अभी भी फरार हैं।इसके अलावा, मामले की अनुसंधान अभी भी लंबित है।याचिकाकर्ता पर एक गंभीर अपराध के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है जिसमें न्यूनतम सजा दस साल निर्धारित की गई है।इसलिए हम वर्तमान में विवादित आदेश में हस्तक्षेप करके याचिकाकर्ता के पक्ष में अपने विवेक का प्रयोग करने के इच्छुक नहीं हैं।

11. नतीजतन, अपील करने के लिए विशेष अनुमति की याचिका खारिज कर दी जाती है।यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऊपर की गई टिप्पणियां, नियमित जमानत देने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना की जांच करने तक सीमित हैं और इसे मामले के गुण-दोष पर एक अवलोकन के रूप में नहीं माना जाएगा, विशेष रूप से जब मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है।

निधि जैन

याचिका खारिज कर दी गई।

(सहायकः तमन्ना, एलसीआरए)

जी.

एच.